खान और खनिज (विनियमन और विकास (अधिनियम, 1957 से खनिजों को इटाया जाना

- 2241. श्री गोविन्दराम मिरी: क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कपा करेंगे कि:
- (क) सरकार द्वारा खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के अंतगमरत किन-किन खनिओं को हटाए जाने का प्रस्ताव है:
 - (ख) इसके क्या कारण हैं:
- (ग) क्या सरकार को इस संबंध में राय सरकारों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं तथा इनकी संख्या कितनी है: और
 - (ध) सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री नवीन पटनायक): (क) से (घ) राज्य सरकारें और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची में से खनिजों को हटाने की मांग समय-समय पर करती रही है। इन खनिजों के प्रवेंक्षण लाइसेंस/खनन पट्टे देने के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना पडता है। विभिन्न राज्य सरकारों के खान और भ-विज्ञान मंत्रियों / सचिवों के 1 दिसम्बर, 1996 में हए सम्मेलन के परिणामस्वरूप सचिव (खान) की अध्यक्षता में फरवरी, 1997 में एक समिति गठित की गुई। प्रमुख खनिज उत्पादक राज्य सरकारों के सचिव. भारतीय खनिज उद्योग परिसंघ के महासचिव, भारतीय खान ब्यरो के महानियंत्रक आदि इस समिति के सदस्य है। समिति को खनिजों के विनियमन और विकास संबंधी मौजदा कानुनों तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा करनी थी। समिति को अनेक राज्य सरकारों से खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम की सम्पूर्ण अनुसूची 1 या उसके भाग ग को हटाने के लिए अनेक अभ्याबेदन प्राप्त हुए। समिति ने इन अभ्यावेदनों पर विचार किया। समिति ने अब अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है तथा इस पर अपेक्षित कार्रवाई शुरू की जाचकी है।

Scheme for the Development of Mining Workers

2242. SHRI RAHASBIHARI BARIK: SHRI BHAGABAN MAJHI:

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

- (a) whether Government have introduced any schemes for the development and welfare of mining workers;
 - (b) if so, the details thereof;
- (c) whether these schemes are providing full assistance to them; and
- (d) if not, the steps taken by Government for the improvement of the schemes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH BAIS): (a) and (b) Under the Mines and Mineral (Regulatioin & Development) Act, 1957 and the Rules framed thereunder, the information related to the welfare schemes for workers engaged in exploration/exploitation in mines is not required to be furnished to the Indian Bureau of Mines, a Subordinate Office of Department of Mines. However, the Ministry of Labour are administering three welfare funds for certain categories of non-coal mines workers. The funds are utilised to implement welfare schemes for provoiding medical, educational, re-creational, housing and water supply facilities to the workers engaged in Mica Mines, Limestone and Dolomite Mines, Iron Ore. Manganese Ore and Chrome Ore Mines. List of the welfare schemes is attached as Statement. (See below)

(c) and (d) All the eligible workers are entitled to and avail of benefits prescribed under the various welfare schemes meant for them formulation under the Mica Mines Labour Welfare Fund Act, 1946; Limestone and Dolomite Labour Welfare Fund Act, 1972 and Iron Orc Mines, Manganese Ore Mines & Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund Act. 1972.